न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, जिला

RS230-III/15 आम जनता द्वारा ग्राम पंचायत सोनौरी विकास खण्ड रीवा, जिला रीवा म0प्र0 ———निगरानीकर्ता

विरूद्ध

प्रकाश तिवारी तनय रामगोपाल तिवारी निवासी ग्राम सोनौरी, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 ————गैरनिगरानीकर्ता

श्री सुरेन्द्र पाण्डेय एड0 द्वारा आज दिनांक 15-12-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क0–25अ/68/2014–15 में आदेश दिनांक 07.12.2015।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता

मान्यवर्

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

1– यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से काबिले निरस्तगी है।

2– यहकि शासकीय भूमि नं0–341 रकवा 1.150हे0 स्थित ग्राम सोनौरी, वृत्त बनकुइयॉं, तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश शासन के स्वत्व आधिपत्य का 30 फिट चौड़ा रास्ता है, जिससे होकर ग्राम पंचायत सोनौरी के आम जनों का आने–जाने का रास्ता है, तथा उक्त आराजी के अंश भाग 15X15=2025 वर्गफिट रकवे पर गैरनिगरानीकर्ता द्वारा सरहंगी बजोर ताकत अतिकमण कर अवैध रूप से बेजा कब्जा कर सरकारी रास्ते को बंद करने की नियत से दो मंजिला पक्की दुकान का निर्माण किया जा रहा है, जबकि मौके

सरपंच
ग्राम पंचायत सोनौरी
जिला रीवा (म0प्र0)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R-5230-2-2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश आमजनता ग्राम पंचायत सौनौरी/प्रकाश तिवारी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2016	यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर के प्रकरण कमांक 25/अ–68/14–15 में पारित आदेश दिनांक 07.12.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र पाण्डेय की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 7.12.15 का परिशीलन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि यह निगरानी मात्र इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अनावेदक द्वारा ग्राम की आमरास्ता पर अतिकमण कर उस पर दो मंजिला दुकान आदि का निर्माण किए जाने से आम रास्ता में अवरोध उत्पन्न होने के कारण उस पर से अवैध अतिकमण हटाए जाने के संबंध में ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत आवेदनत्र पर नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निर्माण कार्य को रोके जाने के आदेश दिनांक 7.9.15 को दिए गये थे। इसके बाद नायब तहसीदार द्वारा दिनांक 7.12.15 को प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लेकर नियत दिनांक से पहले ही आवेदक आम जनता ग्राम पंचायत सोनौरी जिला रीवा को बिना सुनवाई का अवसर व सूचना दिए ही यह अंकित करते हुए कि अनावेदक द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह दूसरी मंजिल पर है तथा लगभग 3–4 माह से रोड बंद है ऐसी स्थिति में शासकीय रोड प्रभावित नहीं होती है पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 7.9.15 को निरस्त कर दिया गया। न्यायालय नायब तहसीलदार के स्थगन आदेश दिनांक 7.9.15 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा शासकीय भूमि के 15 गुणा 15 यानी 225 वर्गफुट क्षेत्र पर कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने का लेख	

प्रकरण कमांक R -5230-2-2015 **जिला रीवा**

आमजनता ग्राम पंचायत सौनौरी/प्रकाश तिवारी

है। जिसमें यह भी लेख है कि उक्त निर्माण कार्य से आम रास्ता प्रभावित हो रहा है। नायब तहसीलदार द्वारा यह तथ्य पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अंकित किए गये थे। इसके बाद आक्षेपित आदेश में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया कि ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हो गयी जिसके कारण जारी स्थगन आदेश को शीघ्र सुनवाई का आवेदन लेकर नियत पेशी से पहले ही आवेदकगण आम जनता ग्राम पंचायत को बिना सुने ही स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार की कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है। प्रकरण में न्यायहित एवं जनहित में नायब तहसीलदार का स्थगन आदेश निरस्त किए जाने संबंधी आक्षेपित आदेश दिनांक 7.12.15 निरस्त किया जाता है तथा आगामी तीन माह के लिए स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, तहसीलदार तीन माह के लिए स्थगन आदेश जारी करें। इसके साथ ही प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे स्वयं ग्राम में जाकर संरपंच ग्राम पंचायत एवं आम जनता ग्राम पंचायत सहित अनावेदक को भी विधिवत सूचना देकर स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि यदि शासकीय भूमि कमांक 341 में से निकले आम रास्ते पर निर्माण कार्य कर अनावेदक द्वारा अतिकमण किया गया है तब उसे तत्काल तीन माह की स्थगन अवधि में हटवाया जाकर आम रास्ता को जनसुविधा की दृष्टि से विधिवत न्यायिक प्रकियाओं का अनुपालन करते हुए खुलवाया जावे, यदि इस कार्य के लिए पुलिस सहयोग की आवश्यकता हो तो वह भी लिया जावे। उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट कार्यवाही समय सीमा में की जावे। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को भी भेजी जावे। पंक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

12.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य